178

B.O.R.

16 AUG 2011

माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर म.प्र.

R-1384-III/2011

धनवंती पत्नि अच्छेलाल लोधी,

ग्राम धजरई तह0 व जिला टीकमगढ़ म.प्र. ..आवेदिका

|| बनाम ||

1. महिला पार्वतीबाई पत्निमोहनलाल (फौत)

2. सुन्दरलाल तनय विन्दावन विश्वकर्मा

3. श्रीमति काशीबाई पत्नि रामचरण यादव

सभी निवासी ग्राम धजरई तह0 व जिला- टीकमगढ़ म.प्र.

4. म.प्र.शासन

..अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदिका निम्न लिखित प्रार्थना करती है :-

1- यहकि,आवेदिका उक्त निगरानी आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 /निग/230अ/12 वर्ष 2008-09 आदेश दि0 12.07.2011 से पीड़ित होकर कर रही है ।

// प्रकरण के तथ्य//

2- यहकि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदिका ने एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार टीकमगढ़ के यहाँ धारा 129 म.प्र. भू.रा.संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया था जिसमें मौजा धजरई की भूमि खसरा नंबर 1112 एवं 1122 एकत्र रकवा 1.658हेक्टे0 भूमि स्वामी हक्क की है, उसका सीमांकन कराया जावे , इस सम्बंध में तहसीलदार द्वाराप्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को आदेश जारी किया गया तथा सीमांकन प्रतिवेदन कियागया ,उक्त प्रतिवेदन पर अनावेदकगणों द्वारा आपत्ति की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-1384/II/2011/टीकमगढ़/भू.रा. धनवन्ती विरूद्ध पार्वती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-1-19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक अभिभाषक श्री अमित भार्गव उपस्थित। उभय पक्ष अभिभाषक के तर्क दिनांक 11-01-2019 को सुने गये । 1. मेरे द्वारा अपर आयुक्त सागर के आदेश पत्रिका दिनांक 12-07-11 अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. निग. 100/2008-09 एवं तहसीलदार टीकमगढ़ के प्र.क्र. 13/अ-12/06-07 का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष के अभिभाषकगणों के तर्क सुने। 2. तहसीलदार की नस्ती से स्पष्ट है कि अनावेदक को सीमाकंन की कोई सूचना नहीं दी गई। जिसका उल्लेख अपर कलेक्टर के आदेश में भी है। इस विषय में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में उल्लेख है कि सीमाकंन की सूचना सरहदी कास्तकारों को देना अनिवार्य है। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सरहदी कास्तकारो को विधिवत सूचना देकर सुनवाई उपरान्त सीमांकन करें। अपर आयुक्त के द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 06-07-09 की पुष्टि की गई है। 3. अतः अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 12-07-11 एवं अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 06-07-09 हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उक्त आदेश स्थिर रखे जाते है। 4. उभय पक्ष दिनांक 12-03-19 को तहसीलदार टीकमगढ़ के न्यायालय में आगामी कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें। (आर.के. जैन) 24.01.2019	